उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014

अध्याय-4

सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया

30- आयोग द्वारा किसी सहकारी समिति या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत किए जाने पर उस जिले का जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, जिसमें समिति का मुख्यालय स्थिति हो, आयोग के दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

31- जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र/क्षेत्रों की ऐसी सहकारी समितियों, जिनका मुख्यालय उसके सम्बन्धित जिले में है और जिनका निर्वाचन होना है, के निर्वाचन से सम्बन्धित आयोग द्वारा अधिसूचित निर्वाचन कार्यक्रम को स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में अनन्तिम क्षेत्र अवधारण के पश्चात् प्रकाशित करेगा।

32- उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाशन में, जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी निर्वाचन हेतु निर्वाचन स्थल एवं मतदान स्थल का निर्धारण करेंगे और उसे सूचना में अंकित करेंगे और सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, जैसी स्थिति हो, से यह अपेक्षा करेंगे कि उक्त कार्यक्रम की एक प्रति समिति के सूचना पट पर चस्पा की जायः

प्रतिबन्ध यह है कि मतदान का स्थान समिति का कार्यालय या मुख्यालय होगा परन्तु, अपरिहार्य कारणों से जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय किया गया मतदान स्थल, समिति के कार्यालय या मुख्यालय के यथासम्भव निकट कोई सार्वजनिक स्थल भी हो सकता हैः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी नियमावली के नियम-84-क के उप नियम-(4) में यथा उल्लिखित समिति के प्रतिनिधियों के चुनाव के मामलें में मतदान का स्थल समिति के कार्यालय या मुख्यालय या शाखा के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वजनिक स्थान, जैसा कि जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय, हो सकता है।

33- (क) समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक का यह उत्तरदायित्व होगा कि समिति के निर्वाचन कार्यक्रम एवं मतदान स्थल की सूचना अनन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित होने की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व समिति के सूचना पट पर प्रदर्शित करेः

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त सूचना प्रारम्भिक सहकारी समिति की स्थिति में, सम्बन्धित विकास खण्ड, जिला/केन्द्रीय सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय एंव राज्य स्तरीय/ शीर्ष

सहकारी समिति की स्थिति में आयुक्त एंव निबन्धक तथा आयोग के कार्यालय के सूचना पट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

(ख) निर्वाचन कार्यक्रम में निम्नलिखित को प्रदर्शित किया जायेगाः-

(एक) अनन्तिम मतदाता सूची के प्रदर्शन का दिनांक;
(दो) अनन्तिम मतदाता सूची पर आपत्तियां दाखिल करने और उनके निस्तारण का दिनांक, समय और स्थान;
(तीन) अंतिम मतदाता सूची के प्रदर्शन का दिनांक;
(चार) नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने का दिनांक, समय और स्थान;
(पाँच) नाम-निर्देशन पत्रों के परिनिरीक्षण का दिनांक, समय और स्थान;
(छः) नाम-निर्देशन पत्र वापस लेने का दिनांक, समय और स्थान;
(सात) निर्वाचन चिन्ह आवंटित करने और अंतिम नाम-निर्देशन प्रदर्शित करने का दिनांक, समय और स्थान;
(आठ) मतदान का दिनांक, समय और स्थान;
(नौ) वह स्थान जहाँ मतदाता द्वारा मतदाता सूची का निरीक्षण किया जा सकता है;
(दस) निर्वाचन क्षेत्रों के नाम, जिसमें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी सम्मिलित है और निर्वाचन किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्याः

प्रतिबन्ध यह है कि, क्रमांक-(एक) से (आठ) में दिनांक एवं समय वह होगा, जो आयोग द्वारा निर्धारित किया जाय तथा क्रमांक-दस की सूचना एवं स्थान वह होगा, जो जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाय।

34- निर्वाचन से सम्बद्ध समिति का सचिव/प्रबन्ध निदेशक नियम-12 के अधीन रहते हुए निम्नलिखित आधार पर अनन्तिम मतदाता सूची तैयार करेगा-

(एक) उन समितियों की स्थिति में जिनके सामान्य निकाय में अलग-अलग सदस्य हों, या उन समितियों की स्थिति में जिनके सामान्य निकाय में अलग-अलग सदस्यों के प्रतिनिधि हों,

(दो) उन समितियों की स्थिति में, जिनके सामान्य निकाय में अलग-अलग सदस्य और समिति सदस्य सम्मिलित हों, अलग-अलग सदस्यों की एक सूची तीन प्रतियों में तैयार करायेगा जिसमें उस दिनांक को जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, समिति की पुस्तिकाओं में अंकित नाम, पिता का नाम, पता, अनर्हता यदि कोई हो, दिखाया जायेगा, जिसे आगे अनन्तिम सूची कहा गया है और यह सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी,-

(क) प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों, प्रारम्भिक गन्ना समितियों एवं प्रारम्भिक दुग्ध समितियों की स्थिति में ग्राम पंचायतवार/राजस्व ग्रामवार,

(ख) नगर क्षेत्र में स्थित प्रारम्भिक सहकारी समितियों जिसमें उपभोक्ता सहकारी समितियाॅं भी हैं, में मोहल्लावार/वार्डवार और नगर क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में ग्राम पंचायतवार,

(ग) अन्य समितियों की स्थिति में निर्वाचन क्षेत्रवार या सभी सदस्यों के अनुपातिक क्रमानुसार/निर्वाचन क्षेत्रवार या अन्य किसी तर्कसंगत आधार जैसा कि, आयोग द्वारा विनिश्चित किया जायेः

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी सहकारी समिति की स्थिति में जिसकी सदस्य अन्य समितियाॅं या खण्ड-(2) के अन्तर्गत आने वाली समितियाॅं हो, ऐसी सूची समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम एवं पता सहित, या यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम अनन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के पूर्व प्राप्त न हुए हो, तो वर्तमान प्रतिनिधियों के नाम सहित, टिप्पणी अंकित करते हुए निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगीः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ की शाखाओं या ऐसी समितियों जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक राजस्व जिले में हो, और जिसकी सदस्यता में अलग-अलग सदस्य हों, ऐसी सूची, यथास्थिति, उप कार्यालय के प्रभारी या सम्बद्ध शाखा के शाखा प्रबन्धक द्वारा तैयार की जायेगी और निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) अनन्तिम मतदाता सूची को समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक, जैसी स्थिति हो, द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित करते हुए निर्वाचन अधिकारी को यथासमय उपलब्ध कराएगा।

35- निर्वाचन अधिकारी उक्त अनन्तिम मतदाता सूची को निर्वाचन कार्यक्रम में निर्धारित तिथि एवं समय पर समिति के मुख्यालय या आवश्यकतानुसार समिति के उपकार्यालय / शाखाओं के कार्यालय में प्रदर्शित करेगा।

36- अनन्तिम मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपत्तियाॅं यदि कोई हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत दिनांक, समय और स्थान पर सुना जायेगा और उसका निस्तारण करते हुए अन्तिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी।

37- अन्तिम मतदाता सूची जो निर्वाचन-क्षेत्रवार, निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त निस्तारण करते हुए तैयार की गयी थी, को उस पर अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए उसे निर्वाचन स्थल, समिति के मुख्यालय और आवश्यकतानुसार समिति के उपकार्यालय या शाखा में प्रदर्शित किया जायेगा। मतदाता सूची रू0 दस प्रति पृष्ठ

अथवा आयोग द्वारा समय-समय पर यथा नियत मूल्य का भुगतान करने पर निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से समिति के मुख्यालय/ शाखा से प्राप्त की जा सकेगी।

38- अन्तिम मतदाता सूची की एक प्रति निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी को भी तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

39(1) -कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित फीस देकर नाम-निर्देशन प्रपत्र (प्रपत्र-ट) निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकता हैः-

(क) प्रारम्भिक सहकारी समितियों की स्थिति में-

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु-	पाँच सौ रूपये
(दो) सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु-	एक हजार रूपये
(तीन) प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु	एक सौ रूपये

(ख) जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति मेंः-

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु-	एक हजार रूपये
(दो) सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु-	दो हजार रूपये
(तीन) प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु	पाँच सौ रूपये

(ग) राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समितियों की स्थिति मेंः-

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु-	दो हजार रूपये
(दो) सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु-	पाँच हजार रूपये
(तीन) प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु	एक हजार रूपये

(2) उपनियम (1) में निर्धारित शुल्क की धनराशि, आयोग द्वारा नियत् बैंक खाते अथवा निर्वाचन अधिकारी को अदा करके प्रपत्र 'ट' एंव सम्बन्धित शुल्क की रसीद अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कर नामांकन प्रपत्र उक्त रसीद के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) समिति के निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि नामांकन शुल्क एंव अन्य मदों में प्राप्त धनराशि, प्रत्येक दशा में निर्वाचन परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर आयोग द्वारा नियत् किये गये बैंक खाता

में जमा कर उसका विवरण एवं प्रमाण जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

40- (1) किसी भी व्यक्ति का नाम निर्देशन प्रपत्र समिति का निर्वाचन अधिकारी स्वीकार नहीं करेगा, यदि वह व्यक्ति-

क- मतदान के लिए पात्र न हो;

ख- अधिनियम, निर्वाचन नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन अनर्ह हो अथवा आयोग द्वारा निर्वाचन के लिए अनर्ह घोषित किया गया हो।

(2) नाम निर्देशन के लिए प्रस्ताव प्रपत्र "ट" में निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा। नाम-निर्देशन के सम्बन्ध में आपत्ति भी उसे सम्बोधित की जायेगी और ऐसी आपत्ति किसी मतदाता द्वारा ही की जायेगी।

(3) उम्मीदवार अपना नाम-निर्देशन व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी प्रविष्टि एक रजिस्टर मंे, प्रत्येक दशा में कालानुक्रम में की जायेगी और वह उसकी प्राप्ति भी स्वीकार करेगा और प्रपत्र "ट" की प्राप्ति रसीद सम्बन्धित उम्मीदवार या उसके नामित अभिकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि नाम-निर्देशन का प्रस्तावक और अनुमोदक उम्मीदवार से भिन्न कोई अन्य अर्ह मतदाता उसी निर्वाचन क्षेत्र का होगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी द्वारा रजिस्टर में निम्नलिखित बातेंे उल्लिखित की जायेंगीः-

(क) उम्मीदवारों का नाम, पिता का नाम एवं पता;

(ख) प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम, पिता का नाम एवं पता;

(ग) नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त होने का दिनांक, समय और उस पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(5) निर्वाचन अधिकारी, नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय समाप्त हो जाने के पश्चात् रजिस्टर में अन्तिम नाम-निर्देशन पत्र की प्रविष्टि के नीचे एक पड़ी रेखा खींचेगा, उसके नीचे शब्द (नाम-निर्देशन समाप्त) लिखेगा और दिनांक और समय सहित अपना हस्ताक्षर करेगा। नाम-निर्देशन की एक सूची, समय समाप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, समिति के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(6) निर्वाचन अधिकारी नाम-निर्देशन पत्रों की परिनिरीक्षा का कार्य विर्निदिष्ट दिनांक को वर्णमाला क्रम में करेगा और उम्मीदवार/ उसका प्रस्तावक या अनुमोदक परिनिरीक्षा के समय उपस्थित रह सकता है।

(7) नाम-निर्देशन की परिनिरीक्षा करते समय निर्वाचन अधिकारी-

(क) नाम-निर्देशन पत्रों में नाम या संख्या के सम्बन्ध में किसी लिपिकीय भूल को मतदाता सूची में समनुवर्ती प्रविष्टियों के अनुरूप करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है;
(ख) जहां आवश्यक हो, वहां यह निर्देश दे सकता है कि उक्त प्रविष्टियों में किसी मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि पर ध्यान न दिया जाय।

(8) परिनिरीक्षा के समय, निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम-निर्देशन पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा। अस्वीकार किये जाने की स्थिति में, वह ऐसे अस्वीकरण के लिए अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा। जिस उम्मीदवार का नाम निर्देशन अस्वीकार किया जाय, वह 10 रूपये की फीस निर्वाचन अधिकारी के पास नकद जमा कर, अस्वीकरण आदेश की एक प्रति प्राप्त कर सकता है।

(9) नाम-निर्देशन वापस लेने के लिए आवेदन पत्र नियत प्रपत्र में केवल सम्बद्ध उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा।

(10) जहां निर्वाचन अधिकारी नाम-निर्देशन वापस लेने के पश्चात् नाम-निर्देशन को अन्तिम रूप दे दे, वहां पर आयोग द्वारा अनुमोदित चिन्हों की सूची से एक चिन्ह/चिन्हों के उसी क्रम में जिस क्रम में वह अनुमोदित सूची में इंगित किया गया है, प्रत्येक विधिमान्य नाम-निर्देशन के लिए आवंटित करेगा और यदि विधिमान्य नाम-निर्देशन की संख्या आयोग द्वारा अनुमोदित चिन्हों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन अधिकारी कोई अन्य चिन्ह आवंटित कर सकता है, जो आयोग द्वारा अनुमोदित चिन्हों से भिन्न, किन्तु उससे साम्य रखता हो। इस प्रकार आवंटित चिन्ह सम्बद्ध उम्मीदवार के लिए बन्धनकारी होगा।

(11) अन्तिम नाम-निर्देशनों की सूची, जिसमें उम्मीदवारों के नाम, पिता का नाम उनके अपने-अपने चिन्ह और नाम-निर्देशन पत्रों में दिये गये पतों सहित हिन्दी वर्णमाला क्रम में दिये गये होंगे, निर्धारित कार्यक्रम पर नियम 36 में विहित रीति से प्रदर्शित की जायेगी।

41- प्रत्येक मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी या कोई व्यक्ति जिसे मतदान कराने के लिए या मतपत्रों की गणना के लिए नियुक्त किया गया हो, ऐसी कोई सूचना किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो इसे प्राप्त करने के लिए विधिक रूप से अधिकृत न हो, नहीं देगा या ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जिससे मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो।

42- कोई व्यक्ति जो निर्वाचन अधिकारी है, या निर्वाचन कराने के लिए नियुक्त किया गया है या किसी समिति का कोई अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी, जिसे निर्वाचन के संचालन में सहायता करनेे के लिए नियुक्त किया गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, या किसी मतदाता या अभ्यर्थी को इस प्रकार प्रभावित नहीं करेगा, जिससे किसी उम्मीदवार के निर्वाचन मेेें सफल होने की सम्भावना में वृद्धि या ह्रास होता हो।

43- (1) जहां विधिमान्य नाम-निर्देशनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर या अधिक न हो, वहां निर्वाचन अधिकारी, नाम वापसी के पश्चात् तत्काल उसी दिनांक को उन्हे सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगाः

(2) जहां विधिमान्य नाम-निर्देशनों की सख्ंया निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो, वहां निर्वाचन अधिकारी नियत् समय एवं दिनांक को मतदान कराने का प्रबन्ध करेगा।

(3) प्रत्येक मतदाता को एक शलाका पत्र दिया जायेगा, जो आयोग के द्वारा मुद्रित होगा, जिस पर हिन्दी वर्णानुक्रम के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को आवंटित चुनाव चिन्ह मुद्रित होगा। इसमें एक खाली स्तम्भ मतदाता द्वारा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के नाम के सामने, जिन्हें वह मतदान करना चाहे, एक चिन्ह ;ग्द्ध अंकित करने के लिए भी होगा।

(4) शलाका-पत्र क्रमांकित होंगे और उन पर समिति की मोहर और सम्बद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे।

(5) मतदान गुप्त शलाका पत्र द्वारा होगा। मतदाता उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मतदान करना चाहता है, एक क्रास का चिन्ह ;ग्द्ध लगायेगा और तद्उपरान्त शलाका पत्र को गुप्त रूप से शलाका पेटी में डाल देगा।

(6) प्रत्येक मतदाता के उतने मत होंगे, जितने व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाना है किन्तु कोई मतदाता किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं देगा।

(7) निर्वाचन लड़ने वाला कोई उम्मीदवार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता शलाका पत्र जारी किये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक आपत्ति के लिए दस रूपये की फीस देकर मतदाता के अभिज्ञान के सम्बन्ध में आपत्ति कर सकता है।

(8) निर्वाचन अधिकारी आपत्ति की संक्षिप्ततः जाॅंच करेगा और यदि ऐसी जाॅंच के पश्चात उसकी यह राय हो कि आपत्ति प्रमाणित नहीं होती है, तो वह आपत्तिकृत व्यक्ति को शलाका पत्र देगा जिसके पृष्ठ पर निर्वाचन अधिकारी अपनी हस्तलिपि में शब्द ''आपत्तिकृत मत'' पृष्ठांकित करेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(9) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, उपनियम (3) के अधीन शलाका पत्र दिए जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो तो वह अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(10) उपनियम (8) के अधीन शलाका पत्र प्राप्त होने पर सम्बद्ध व्यक्ति शलाका पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप से क्रास का चिन्ह ;ग्द्ध लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और शलाका पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा।

(11) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वंय को मतदाता सूची में दिये गए किसी विशिष्ट मतदाता रूप में बताये, ऐसे मतदाता के रूप में, दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात, शलाका पत्र के लिये आवेदन करता है, तो उसे निर्वाचन अधिकारी को अपने पहचान के सम्बन्ध में समाधान करने के पश्चात एक शलाका पत्र दिया जायेगा, जिसके पृष्ठ भाग पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी हस्तलिपि में शब्द ''निविदत्त शलाका पत्र'' पृष्ठांकित किया जायेगा और हस्ताक्षर किया जायेगा।

(12) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, निविदत्त शलाका पत्र दिए जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो तो वह अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(13) उपनियम (11) के अधीन शलाका पत्र प्राप्त होने पर वह व्यक्ति शलाका पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप से क्रास का चिन्ह ;ग्द्ध लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और निविदत्त शलाका पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरन्त इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा।

(14) मतदान करने वाले मतदाता को अपने मत का प्रयोग किये जाने के पूर्व आयोग द्वारा निर्दिष्ट पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र से निर्वाचन अधिकारी को अपने पहचान के सम्बन्ध में सन्तुष्ट किया जाना अनिवार्य होगा।

(15) यदि हस्ताक्षरित मतपत्र बच जाता है तो उसे एक अलग लिफाफे में रखा जायेगा और मतदान के पश्चात् निर्धारित प्रारूप पर प्रयोग किये गये मतपत्र, हस्ताक्षरित शेष मतपत्र, शेष सादे मतपत्र आदि की सूचना भरकर लिफाफे में रखा जायेगा।

(16) निर्वाचन अधिकारी द्वारा डायरी में शान्तिपूर्ण ढंग से निर्वाचन सम्पन्न होने की स्थिति में टिप्पणी अंकित करते हुए डायरी को अलग लिफाफे में रखा जायेगा। उक्त डायरी को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेखों के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में निर्धारित अवधि तक रखा जायेगा।

44- (1)(क) मतदान समाप्त होने के पश्चात तुरन्त मतों की गणना की जायेगी और यदि मतदान समाप्त होने के पश्चात तुरन्त मतगणना करना सम्भव न हो तो, मत पेटियाॅं निर्वाचन अधिकारी द्वारा मोहर बन्द कर दी जायेगी और निकटस्थ पुलिस थाने में निरापद अभिरक्षा में रखी जायेगी। उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता भी अपनी मोहर, यदि ऐसा चाहें, लगा सकता है।

(ख) निविदत्त मत एवं आपत्तिकृत मत की गणना उन्हीं परिस्थितियों में की जायेगी जब कुल पड़े मतों से परिणाम घोषित किया जाना सम्भव न हो अर्थात् किन्ही दो या अधिक उम्मीदवारों के मतो की संख्या बराबर हो जाये।

(2) कोई शलाका-पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा, यदि-

(1) उस पर मतदाता की पहचान के लिये कोई हस्ताक्षर हो,

(2) उस समिति की मोहर और सम्बद्ध मतदान केन्द्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर न हो,

(3) उस पर मतदान इंगित करने का कोई चिन्ह न हो,

(4) उस पर भरे जाने वाले स्थान/स्थानों की संख्या से अधिक चिन्ह हों।

(3) यदि किसी शलाका-पत्र पर उम्मीदवार या उम्मीदवारों के लिये चिन्ह इस प्रकार हो जिससे यह स्पष्ट न हो कि किन उम्मीदवारों को मत दिया गया है तो उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(4) निर्वाचन-अधिकारी, गणना पूरी हो जाने के पश्चात यथाशीघ्र, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतो की संख्या बताते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा करेगा।

(5) बराबर-बराबर मत होने की स्थिति में मामले का विनिश्चिय पर्चा डालकर किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- निर्वाचन अधिकारी द्वारा समान रंग एंव आकार की पर्ची पर उम्मीदवारों के नाम लिखकर तथा पर्ची को इस प्रकार मोड़कर की उम्मीदवार का नाम पढ़ा न जा सके, शलाका पत्र पेटी में डालेगा और उम्मीदवार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से पेटी से एक पर्ची निकलवायेगा। उस पर्ची पर अंकित नाम वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा।

(6) निर्वाचन-अधिकारी, निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची समिति के सूचना पट्ट पर और ऐसे सार्वजनिक स्थान पर भी जहां वह उचित समझे, प्रदर्शित करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ की शाखाओं या ऐसी समितियों की स्थिति में जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक जिले में हो, सूची का प्रदर्शन ऐसी सहकारी समिति के शाखा कार्यालय या उप कार्यालय में किया जायेगा।

(7) उपनियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची की एक प्रतिलिपि जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, आयोग या सम्बन्धित सहकारी समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को भेजी जायेगी।

(8) निर्वाचन सम्बन्धी प्रयुक्त शलाका पत्र और अन्य अभिलेख किसी लिफाफे या आधान (कन्टेनर) में रखे जायेंगे और निर्वाचन अधिकारी/ मतदान अधिकारी उन्हे समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक को भेज देगा, जो उसकी प्राप्ति स्वीकार करेगा और यदि निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई विवाद जिला मजिस्ट्रेट अथवा आयोग को निर्दिष्ट न किया जाय तो दो माह तक उसकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि किसी निर्वाचन वाद अथवा किसी न्यायालय में निर्वाचन सम्बन्धी याचिका के लम्बित न रहने की स्थिति में समिति के सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसे नष्ट कर दिया जायेगाः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, का यह उत्तरदायित्व होगा कि अभिलेखों को नष्ट किये जाने के पूर्व आयोग द्वारा विहित प्रारूप पर उसका संक्षिप्त विवरण अंकित करे और उसे सहकारी समिति में रखा जायेगा।

(9) विशेष परिस्थितियों एवं अपरिहार्य कारणों में आयोग जनपद की सभी अथ्वा किसी वर्ग या वर्गो या किसी विशिष्ट समिति की मत गणना अन्य स्थान पर कराने के निर्देश दे सकता है और ऐसी मतगणना आयोग द्वारा यथा नियत दिनांक को ही करायी जाएगी।